संख्या-52/2019/728 ई-2/तेरह-2019-239/99

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 30 मई, 2019

विषय:- मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0,(आसवनी), द्वारिकेशनगर, बिजनौर की क्षमता 30 कि0ली0 प्रतिदिन अर्थात 90 कि0ली0 से बढ़ाकर 100 कि0ली0 प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 330 कार्यकारी दिवस के आधार पर 330 लाख कि0ली0 वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-134/दो-प्रा0डी0-125/द्वारिकेश आसवनी, दिनांक 28 मार्च, 2018 तथा पत्र संख्या-जी-128/दो-प्रा0डी0-125/द्वारिकेश आसवनी, दिनांक 25 फरवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0,(आसवनी), द्वारिकेशनगर,बिजनौर की अधिष्ठापित क्षमता 30कि0ली0 प्रतिदिन अर्थात 90 लाख कि0ली0 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 100 कि0ली0 प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 330लाख ली0 वार्षिक "जिसके अन्तर्गत बाजार की मॉग के अनुसार शोधित आसव अथवा अब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण एवं बिक्री की जायेगी" किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा सी0पी0सी0बी0/यू0पी0सी0बी0 के मानकों के अनुसार इकाई में शून्य उत्प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (कन्सेंट्रेशन एवं इंसीनरेशन) की स्थापना की जाएगी एवं अपनी दैनिक/वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत आर0एस0 या अब्सोल्यूट अल्कोहल(औद्योगिक अल्कोहल) का उत्पादन किया जाएगा तत्संबंध में समस्त शर्तों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित/विद्यमान समस्त विधियों/संगत शासनादेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in